19.9.24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में पूर्व में बहस सुनी गई थी। प्रार्थी का प्रा.पत्र अ.धा. 212 R-TA का स्वीकार किया जाता है। विपक्षी गण को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया जाय पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

M

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

वपत्र संख्या :– 31/2020

भैरूलाल पिता कैलाशचन्द्र जाति धाकड नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता रामी बाई उर्फ रामुडी बाई परित्याक्ता कैलाशचन्द्र धाकड पुत्री चुन्नीलाल धाकड निवासी मेघपुरा हाल निवासी हरिपुरा (दौलतपुरा) तहसील बेगूँ प्रार्थी

बनाम

1. श्री घीसा लाल पिता भीमा जाति धाकड निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
2. श्री उंकार पिता घीसा जाति धाकड निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
3. श्री कैक्लाश चन्द्र पिता घीसा जाति धाकड निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
4. श्रीमति पुष्पा पिता घीसा धाकड (पत्नि रमेश धाकड) जाति धाकड निवासी खरडी वाया दौलतपुरा तह0 बेगूँ
5. श्रीमति पार्वती पुत्री घीसा धाकड (पत्नि मोहन धाकड) जाति धाकड निवासी ग्राम सादी तहसील बेगूँ विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री तूफान सिंह चुण्डावत
अधिवक्ता प्रार्थी
श्री कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता विपक्षीगण

आदेश दिनांकः– 19.09.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक वादपत्र न्यायालय आपके समक्ष पेश कर दिया जो ठोस एवं सुद्रढ तथ्यों पर आधारित होने से बाद सुनवाई अवश्यक ही स्वीकार होगा किन्तु उक्त वादपत्र मे सुनवाई होकर निण्रय होने में समय लगेगा इस दौरान विपक्षीगण ने वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित प्रार्थी के हक व हिस्से को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बह, बक्षीश कर खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थी का उक्त वाद पेश करना ही व्यर्थ हो जायेगा जिससे विपक्षीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वे ना तो स्वयं ना ही अपने किसी ऐजेन्ट के माध्यम से वादग्रस्त कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बह बक्षीश करें या करावें।

यह कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब के स्वामीत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा ग्राम मेघपुरा पटवार हल्का मेघपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र डोराई तह0 बेगूँ में निम्न प्रकार से स्थित हैः– वर्तमान आराजी व गत आराजी का विवरण निम्न हैः–

खाता संख्या	वर्तमान आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर में	गत आराजी नम्बर	रकबा बीघा/बिस्वा
49	107	0.065	77 मी.	7 बिस्वा
	108	0.089	77 मी.	9 बिस्वा
	116	0.607	65,64,70	3 बीघा 12 बिस्वा
	281 मी.	0.631	139मी. 140मी.	4 बीघा
	282	0.089	155	9 बिस्वा
	540	0.129	–	–
	546	0.389	301मी.	2 बीघा 7 बिस्वा
	कीता–7	1.999 है0	कीता–7	12 बीघा 6 बिस्वा
48	671	0.016	35 मी.	2 बिस्वा
	672	0.016	37 मी.	2 बिस्वा
	कीता– 2	0.032 है0	कीता–2	4 बिस्वा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त कुटुम्ब का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है:—

नन्दा
मूल पुरूष
मृत
।
जीतमल(पुत्र मृत)

कजोड
पुत्र मृत

धुला
पुत्र मृतक

भीमा
पुत्र मृत
।
।
धीसा (पुत्र प्रति.सं.1)
।

उंकार
पुत्र प्रति.1

कैलाशचन्द्र
पुत्र प्रति.3

पुष्पा
पुत्री प्रति4

पार्वति
पुत्री प्रति.5

विमला
लाऔलाद फोत

यह कि उक्त गत आराजी संख्या भीमा जी के पिता जीतमल धाकड की खातेदारी में दर्ज थी। जीतमल जी की मृत्यु के पश्चात विरासत में भीमा व उसके भाई नाम क्रमशः कजोड व धुला की खातेदारी में आई। उक्त गत आराजीयात कजोड धुला व भीमा के मध्य जीतमल की समस्त कृषि भूमि का विभाजन हो जाने से मात्र भीमा के खातेदारी में आई जो बाद में भीमा की मृत्यु के पश्चात उक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु कुटंम्ब की अविभक्त सम्पदा होन से उक्त कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 से लगायत 5 तक का 1/5— 1/5 बराबर हक व हिस्सा निहित है। इसी प्रकार प्रार्थी विपक्षी संख्या 3 की जायन्दा औलाद होने से व प्रार्थी के अलावा विपक्षी संख्या 3 का अन्य कोई वारिस नहीं होन से विपक्षी संख्या 3 का उक्त कृषि भूमि में निहित 1/5 हक व हिस्सा में प्रार्थी का 1/2 हक व हिस्सा निहित है जिससे प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 का बराबर बराबर 1/10—1/10 हक व हिस्से उक्त कृषि भूमि में निहित है जिससे प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित 1/10 हिस्से की खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है।

यह कि प्रार्थी की माता व उसके पिता विपक्षी संख्या 3 का विवाह दिनांक 22.12.2005 को विघटित हो जोन से तथा विवाह विघठन के वक्त प्रार्थी की आयु 2 वर्ष होने से प्रार्थी की संरक्षता व अभिरक्षा उसकी माता को मिली और तभी से प्रार्थी अपनी माता के साथ अपने ननीहाल में निवास कर रहा है। चुंकी प्रार्थी की माता का विपक्ष संख्या 3 के साथ मन मुटाव हो जाने से विपक्षीगण वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित प्रार्थी के हक व हिस्से को प्रार्थी को नहीं देना चाहते है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बह, बक्षीश कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू है जिससे विपक्षीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है किवह वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित प्रार्थी के 1/10 हक व हिस्से को ना तो स्वयं ना ही अपने किसी एजेन्ट के माध्यम से रहन बह बक्षीश कर अन्य व्ययनित करें।

यह कि प्रार्थी का मामला प्रथम दृष्टया प्रमाणित है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विपक्षीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं फरमाया गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन कर भरपाई यिका जाना नितान्त असंभव है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे प्रार्थना पत्र की कलम में वर्णित विवादित कृषि भूमि को न तो स्वयं न ही अपने किसी एजेन्ट के माध्यम से किसी अन्य को रहन, बह, बक्षीश करें और ना ही प्रार्थी के वादग्रस्त कृषि भूमि के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में दखलंदाजी करें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । विपक्षी संख्या 1,3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र मंत्री न्यायालय में उपस्थित आए तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया , विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र धाकड ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया किन्तु बाद में विपक्षी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

2 व उनके अधिवक्ता के न्यायालय में न आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये साथ ही विपक्षी संख्या 5 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिए गये।

प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1,3 व 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि वर्णित आराजयीात विपक्षी संख्या 1 धीसालाल जी के तन्हा स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी की है जिसमें प्रार्थी का किसी तरह का हक दखल नहीं है।

इस वर्णित आराजीयात विपक्षी सं0 1 धीसालाल जी के तन्हा स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी की है जिसमें प्रार्थी का किसी तरह का हक दखल नहीं है। सजरा गलत होकर अस्वीकार है भीमा जी के एक पुत्र धीसालाल व तीन पुत्रिया प्यारीबाई, मोतियाबाई एवं मोहनीबाई होकर इनके भी विधिक वारिसान है जिनका उल्लेख सजरा में अंकित नहीं किया हैं।

यह कि प्रार्थिना पत्र की कलम सं0 4 में अंकित आराजयीात पुश्तैनी होना प्रार्थी स्वयं प्रमाणित करें। जहॉ तक प्रश्न हिस्सो का है प्रार्थी का कथन गलत होकर अस्वीकार है। सजरा अपूर्ण बताने से सही हिस्सा अंकित किया ही नहीं जा सकता है। प्रार्थी किसी तरह की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी की ओर से वादी प्रार्थी नाबालिग होने से उसकी माता को वाद लाने का अधिकार नहीं है बल्कि प्रार्थी का प्राकृतिक संरक्षक कानूनन प्रथम पिता होता है साथ ही प्रार्थी के माता पिता के मध्य प्रार्थी के 5 वर्ष के होते।

यह कि वादपत्र की कलम सं0 4 में वादी की 2 वर्ष की आयु में माता–पिता का बिलगाद का कथन को छोड कर शेष कथन गलत होकर अस्वीकार है। वादी के 5 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही वादी को प्रतिवादी सं0 3 को देने बाबत दोनो पक्षो में लिखित में समझोता हुआ था जिससे मुकरते हुए वादी की आड में वादी की माता रामीबाई ने जमीन हडपने की निचयत से यह वाद गलत एवं वेग तथ्यों के आधार पर प्रसतुत किया है जबकि प्रतिवादी सं0 1 वादी क`दादा एवं प्रतिवादी सं0 3 वादी के पिता ने कई प्रयास वादी को अपने पास लाने के किये लेकिन वादी की माता के मन में बदनियति आ जाने से वादी को नहीं देना चाहती है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा न तो भूमि को खुर्द बुर्द किया है एवं न ही करने की कोई संभावना है। वैसे भी कानूनन कर्ता परिवार को परिवार की विधिक आवश्यकता के लिए भूमि हस्तान्तरण से नही रोका जा सकता है।

यह कि वादपत्र की कलम सं0 5 गलत होकर अस्वीकार है। जब दिनांक 11.02.2020 को वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई बाद चीत ही नहीं हुई तो वाद कारण उत्पन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यह कि वादपत्र की कल मसं0 6 से 11 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। वादी नाबालिग होकर उसकी माता को वादी की ओर से विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद लाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जिससे वाद वादी निरस्त योग्य है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत होने पर पश्चात हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ही करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात जो कि प्रार्थी की पुश्तैनी आराजीयात है, जिसके लिए प्रार्थी द्वारा न्यायालय में घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया हुआ है, प्रार्थी के पिता विपक्षी सं. 3 का हिस्सा 1/5 है, जिसमें प्रार्थी 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है, लेकिन वाद के निस्तारण में समय लगेगा इसलिए विपक्षीगण वर्णित पुश्तैनी आराजी को अन्य को रहन बह बक्षीस न करें इस हेतु उन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें। बहस में अधिवक्ता विपक्षीगण ने निवेदन किया है कि प्रार्थी की माता को दावा लाने का अधिकार ही नहीं है, प्रार्थी के 18 वर्ष की आयु पर खुद को आना चाहिए, माता को अधिकार नहीं है, हिन्दु उत्तराधिनियम 1956 सेक्शन 6 में स्पष्ट है कि पिता ही संरक्षक है, बालक के 5 वर्ष तक की आयु तक ही माता उसकी संरक्षक है, 5 वर्ष पूर्ण होते ही प्राकृतिक संरक्षक पिता होता है, " **in the case of a boy or an unmarried girl- the father,and after him,the mother. Provided that the custody of a minor who has not completed the age of five years shall ordinarily be with the mother.** छायाप्रति पेश की है। साथ ही सुप्रिम कोर्ट का निर्णय सुशील कुमार व अन्य बनाम राम प्रकाश व अन्य निर्णय दिनांक 13 जनवरी, 1988 की छायाप्रति प्रस्तुत की जा रही है, अवलोकन फरमावें। वर्णित आराजीयात वर्तमान में धीसालाल पिता भीमा जी के खाते की आराजीयात है, जिसमें प्रार्थी का कोई हक व दखल आराजी में नहीं है, साथ ही इस बाबत न्यायिक उद्रण आर आर टी 2017(2) पेज 1362 से 1364 तक की छायाप्रति प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यु राजस्थान अजमेंर द्वारा निर्णय अंकिता एवं अन्य बनाम ताराचन्द्र व अन्य निर्णय दिनांक 14 जून 2017 में उल्लेख किया है कि " राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौड़गढ़)

...ी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया अपील में आदेश पुष्ट हुआ अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थीगण का ... है और उसको खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थी के दादा व पिता जीवित है, पिता के जीवन काल में प्रार्थीगण के पक्ष में अधिकार सृजन नहीं होते पहले सुनीता पत्नी रामनिवास पुत्र ताराचन्द्र का प्रार्थना पत्र खारिज हुआ तथ्य को छिपाना निर्णीत आदेश में अनियमितता या क्षैत्राधिकारिता की .त्रुटि नहीं है।" इस प्रकरण में भी आराजीयात दादा के नाम पर है जिसमें पिता के जीवित रहते प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना, तथा प्रस्तुत न्यायिक उद्रण का अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गया, एवं प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गया, प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु निम्न तीन सिद्धान्तो पर निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1– <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>:–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी के अवलोकन से पाया कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात मौजा मेघपुरा प0ह0 मेघपुरा की आराजी संख्या 107, 108, 116, 281मी., 282, 540, 546 कीता–7 कुल रकबा 1.999 हैक्टर भूमि एवं आराजी संख्या 671, 672 कीता–2 कुल रकबा 0.032 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री घीसालाल पिता भीमा धाकड सा0देह दर्ज है, प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा विपक्षी सख्या 3 कैलाश पिता घीसालाल को उनका पिता होना अंकित किया है, जबकि वर्णित आराजीयात कैलाश के पिता घीसालाल धाकड के खातेदारी की आराजी है, अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उदरण आर आर टी 2017 में यह दर्शाया गया है कि पिता के जीवित रहते प्रार्थी के पक्ष में अधिकार सृजन नहीं होते है। वर्णित आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात है या नहीं ? प्रार्थी इस आराजीयात में से अपना हक हिस्सा रखता है अथवा नहीं यह सभी तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर ही निर्णित किये जावेगें, जैसा कि विपक्षीगण ने अपने जबाव में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रार्थी विपक्षी सं0 3 कैलाश का ही पुत्र है, तथा वर्तमान में जो प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजीयात है वह प्रार्थी के दादा श्री घीसालाल पिता भीमा के खातेदपारी की कृषि आराजीयात है। जहॉ तक हिन्दु उत्तराधिकारिता अधिनियम के नियम पर हम प्रकाश डालते है तो पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति में जन्म से ही पोते का अधिकार (नोश्नल शेयर) होता है। वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थी के दादा के खातेदारी की कृषि आराजीयात है वह आराजी पुश्तैनी है अथवा नहीं है या इस कृषि आराजीयात में प्रार्थी अपना हक हिस्सा रखता है अथवा नहीं रखता है यह सभी तथ्य मूल वाद में ही साक्ष्य सबूत के आधार निर्णित किये जावेगें, किन्तु यदि प्रार्थी के इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना से विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है या उन्हें पाबंद नहीं किया जाता है तो एवं विपक्षीगण यदि वर्णित कृषि को विक्रय कर देते है तो प्रार्थी का दावा लाना ही व्यर्थ हो जावेगा। इसलिए न्याय के सिद्धान्त अनुसार हम यह उचित समझते है कि विपक्षीगण को प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजीयात को विपक्षीगण रहन बह या बक्षीस न करें इस हेतु उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर विपक्षीगण को कोई क्षति नहीं होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।

2– <u>सुविधा का सन्तुलन एवं आर्थिक क्षति</u> :–

प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात मौजा मेघपुरा प0ह0 मेघपुरा की आराजी संख्या 107, 108, 116, 281मी., 282, 540, 546 कीता–7 कुल रकबा 1.999 हैक्टर भूमि एवं आराजी संख्या 671, 672 कीता–2 कुल रकबा 0.032 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री घीसालाल पिता भीमा धाकड सा0देह दर्ज है तथा प्रार्थना एवं जबाव विपक्षी से यह तथ्य सामने आया है कि प्रार्थी विपक्षी सं. 3 कैलाश चन्द्र के पुत्र होकर विपक्षी सं. 1 घीसालाल के पोत्र है, जैसा प्रथम दृष्टया मामले में अंकन किया है कि हिन्दु उत्तराधिकारिता अधिनियम के नियम पर हम प्रकाश डालते है तो पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति में जन्म से ही पोते का अधिकार (नोश्नल शेयर) होता है। ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थी के नोश्नल शेयर में आने वाली भूमि को यदि खुर्द बुद कर दिया जाता है तो निश्चित ही प्रार्थी को आर्थिक क्षति होती है तथा प्रार्थी अपने अधिकारो से महरूम रह सकते है। प्रार्थी कृषि वर्णित भूमि में अपना हक अधिकार रखते अथवा नहीं रखते है यह सभी निर्णय मूल वाद में निर्णित किये जावेगे लेकिन प्रार्थी के अधिकार तक भूमि को विक्रय कर दिया जाता है तो प्रार्थी को निश्चित ही आर्थिक क्षति होगी इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है यदि विपक्षीगण वर्णित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द न किये जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जाता है और विपक्षी भूमि को खुर्द बुर्द कर देते है तो प्रार्थी को आर्थिक क्षति होती है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन एवं आर्थिक क्षति ये दोनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

इस प्रकार प्रार्थना पत्र निस्तारण के तीनों ही बिन्दुओं को अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने मे सफल रहे है, इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा मेघपुरा प0ह0 मेघपुरा की आराजी संख्या 107, 108, 116, 281मी., 282, 540, 546 कीता–7 कुल रकबा 1.999 हैक्टर भूमि एवं आराजी संख्या 671, 672 कीता–2 कुल रकबा 0.032 हैक्टर भूमि को मूल दावा निर्णित होने तक विपक्षीगण द्वारा रहन, बह, बक्षीस न तो स्वयं किया जावे ना ही अपने किसी एजेन्ट के माध्य से कराया जावें। वर्णित कृषि आराजीयात के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाए रखने हेतु विपक्षीगण को मूल वाद के अंतिम निस्तारण होने तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

आदेश आज दिनांक को 19.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्डअधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़